विहंगावलोकन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर एक विहंगावलोकन, लेखाओं के साथ–साथ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें एवं 14 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी भारत के सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा क्रमशः सम्बन्धित विधानों के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को, बिहार राज्य में 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (30 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमें) तथा 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं जिनमें कुल 17,281 कर्मचारी कार्यरत थे। अपनी अन्तिमीकृत अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 11,619.64 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। 30 सितम्बर 2015 तक अपनी अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 36.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.2, एवं 1.3)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2015 को, राज्य के 73 सा0क्षे0उ0 में ₹ 33,783.37 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। 2014–15 के कुल निवेश का 81.90 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। सरकार ने, 2014–15 के दौरान, ₹ 6467.54 करोड़ अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के लिए योगदान दिया।

(कंडिकाएँ 1.6,1.7 एवं 1.8)

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 16 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 463.59 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 के लेखाओं में शून्य लाभ/हानि शामिल था एवं दो सा0क्षे0उ0 ने अभी तक अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (₹ 72.63 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) मुख्य थे। सा0क्षे0उ0 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 268.69 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

(कंडिका 1.16)

लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0उ0 के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए सभी 45 लेखाओं पर, सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था चूँकि लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 11 मामले पाए गए।

(कंडिका 1.21)

लेखों का बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2015 को 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से 30 सा0क्षे0उ0 की 206 लेखाएँ बकाए में थे। बकाया लेखाओं की अवधि एक से 24 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थीं, जिनमें 10 समापन की प्रक्रिया में थी।

(कंडिकाएँ 1.10 एवं 1.12)

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

2009–14 की अवधि के दौरान सी0ए0जी0 की प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 57 कंडिकाओं में से आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 49 कंडिकाएँ विचार–विमर्श हेतु लम्बित थे (सितम्बर 2015)।

(कंडिका 1.25)

2.1 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य नई पुलों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण तथा उनका संधारण व सुधारात्मक कार्य करना था। कम्पनी ने 2010–15 की अवधि के दौरान केवल निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया एवं संविदा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रतियोगात्मक निविदा प्रक्रिया में सहभागिता नहीं किया।

कम्पनी की संरचनात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा निम्नवत् है :

निधि प्रबन्धन

- अनुबन्ध बिना 70 परियोजनाओं के निष्पादन के मद में कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की शत्ता (सेन्टेज) शुल्क की हानि हुई एवं एक पुल की संशोधित प्राक्कलन पर ₹ 16.49 करोड़ की शत्ता शुल्क का भी दावा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.7)

नाबार्ड द्वारा पोषित पुलों का निर्माण

- कम्पनी द्वारा निर्माण की गई 542 पुलों में से 281 पुलों का निर्माण 2010–15 की अवधि के दौरान सम्पन्न हुआ था जिसमें से 149 पुलों (53 प्रतिशत) का निर्माण–कार्य

विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 261 पुलों का निर्माण–कार्य अपनी पूर्णता के विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन था जिसमें 94 पुलों के निर्माण–कार्य में एक से 64 महीनों का विलम्ब हो गया है।

(कंडिका 2.1.11)

- नमूना जाँच किए गए छः प्रमण्डलों में 81 पुलों का निर्माण सम्पन्न हुआ था जिसमें से 45 पुलों का निर्माण एक से 30 महीनों के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था तथा 17 पुलों का निर्माण ₹ 36.19 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

(कंडिका 2.1.11)

- छः प्रमण्डलों की नमूना जाँच में पूर्ण किए गए 224 पुलों में से 49 मामलों में निविदा बोलियों की वैद्यता अवधि के व्यतीत होने पर निविदाओं का अन्तिमीकरण आठ से 356 दिनों के विलम्ब से हुआ था।

(कंडिका 2.1.12)

- कम्पनी ने सी0भी0सी0 मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 126.92 करोड़ के आठ कार्यादेश, बिना निविदा आमंत्रित किए, नामांकन के आधार पर निर्गत किया।

(कंडिका 2.1.13)

- स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 42.13 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों का निर्माण–कार्य का परित्याग कर दिया गया। पाँच पुलों के मामलों में पुलों को जोड़ने वाले पहुँच पथ के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 14.95 करोड़ की व्यय की गई राशि सात से 15 महीनों की परास की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कंडिका 2.1.14)

- छः निर्माणाधीन पुलों के सम्बन्ध में, यद्यपि पुलों के मद में निर्माण कार्य ₹ 69.23 करोड़ की लागत पर सम्पन्न हो चुका था तथापि इन पुलों को जोड़ने हेतु पहुँच–पथ का निर्माण कार्य सात से 34 महीनों की परास की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.14)

- धनहा–रतवलघाट पुल से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य संवेदक को वास्तविक कार्य के दर पर नहीं प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 9.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.16)

- भागलपुर के विजयघाट पुल से सम्बन्धित बुनियादी कुआँ की गहराई की बढ़ोतरी हेतु संवेदक को ₹ 4.29 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.17)

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन पुलों का निर्माण

- कम्पनी द्वारा निर्माण किए गए 710 पुलों में से 540 पुलों का निर्माण, 2010–15 की अवधि के दौरान हुआ था जिसमें से 312 पुल (58 प्रतिशत) विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 170 पुलों का निर्माण–कार्य पूर्ण होने की विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन था जिसमें 61 पुलों के निर्माण–कार्य में एक से 84 महीनों तक का विलम्ब हो गया है।

(कंडिका 2.1.20)

- नमूना जाँच में जाँच किए गए छः प्रमण्डलों में 248 पुलों का निर्माण–कार्य पूर्ण हो गया जिसमें 141 पुलों (56.85 प्रतिशत) का निर्माण 10 दिन से 51 महीनों की परास अवधि की विलम्ब से पूर्ण हुआ था एवं 26 पुलों का निर्माण–कार्य ₹ 7.48 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

(कंडिका 2.1.20)

- नमूना जाँच में जाँच किए गए छः प्रमण्डलों द्वारा निर्मित किए गए 337 पुलों में 57 के मामलों में निविदा बोली की वैधता अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब 10 से 369 दिनों की परास अवधि का था।

(कंडिका 2.1.21)

- स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 2.70 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों के निर्माण–कार्य का परित्याग जून 2012 से ही कर दिया गया था। दस पुलों के मामलों में उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच–पथों के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 16.40 करोड़ की राशि छः से 30 महीनों की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कंडिका 2.1.22)

- चार पुलों के मामलों में यद्यपि पुल के हिस्से का निर्माण–कार्य ₹ 10.57 करोड़ की लागत पर पूर्ण हो गया था तथापि उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच–पथों का निर्माण कार्य 13 महीनों से 45 महीनों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.22)

भवनों का निर्माण

- वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान के निर्माण के मामले में मूल्य वृद्धि मद में ₹ 18.51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान संवेदक को किया गया। साथ ही कम्पनी ने सरकार की दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 3.81 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.1.25)

• प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से पाँच वर्षो के व्यतीत हो जाने पर भी कम्पनी द्वारा निर्माण किए जाने वाले 38 छात्रावासों मे से केवल सात छात्रावासों का निर्माण कार्य मार्च 2015 तक सम्पन्न हो पाया था।

(कंडिका 2.1.26)

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण

• पर्यवेक्षीय परामर्शियों (एस0सी0) की नियुक्ति हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं थी। एस0सी0 को भुगतान किया गया ₹ 32.54 करोड़ के व्यय को शत्ता शुल्क से प्रतिपूर्ण करने के बजाए इसे कार्य–व्यय मद में भारित कर दिया गया था।

(कंडिका 2.1.28)

• पूर्ण परियोजनाओं की लेखों का सम्बन्धित विभागों की लेखों से समाशोधन नहीं करने के कारण वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखों में ₹ 11158.91 करोड़ की राशि बिहार सरकार से प्राप्त जमाराशि के रूप में प्रदर्शित हो रहा था।

(कंडिका 2.1.31)

2.2 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत विकास योजनाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, सीवरेज और सीवेज नेटवर्क, सड़क और जल निकासी एवं नदी मुख निकास, इत्यादि से संबंधित शहरी आधारभूत परियोजनाओं में तेजी लाने के मुख्य उद्देश्य से पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 16 जून 2009 को किया गया था। कम्पनी को भारत सरकार की योजना यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0यू0आर0एम0) के अन्तर्गत आवंटित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

वित्तीय प्रबन्धन

• कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक की अवधि के दौरान ₹ 940.30 करोड़ रूपये प्राप्त किया। उपर्युक्त अवधि के दौरान निधि की उपयोगिता मात्र 1.03 प्रतिशत से 42.13 प्रतिशत के बीच रही। निधि की अल्प उपयोगिता का मुख्य कारण प्रारंभिक वर्षों में कम्पनी की अल्प गतिविधि, परियोजनाओं का धीमी गति से निष्पादन और निविदा का निरस्तीकरण था।

(कंडिका 2.2.6)

• दानापुर जलापूर्ति परियोजना में, मोबलाईजेशन अग्रिम के विरूद्ध दिए गए बैंक गारंटी की वैधता अवधि को नवीनीकरण कराने में कम्पनी असफल रही ओर निविदा को समाप्त कर दिया गया। परिणामतः ₹ 6.70 करोड़ की मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.2.9)

जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- संवेदक द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना, पटना जलापूर्ति परियोजना और दानापुर जलापूर्ति परियोजना की संविदाएँ निरस्त कर दी गयीं। एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य के शेष भाग को दूसरे संवेदक को आवंटित नहीं किए जाने के कारण ₹ 77.70 करोड की निधि अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त योजना से मिलने वाले अभीष्ट लाभ से राज्य को वंचित रहना पड़ा।

(कंडिकाएँ 2.2.13, 2.2.14 एवं 2.2.15)

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पोषित परियोजनाएँ

- कम्पनी ने ₹ 441.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (ए0ए0) के साथ वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान बक्सर, हाजीपुर, बेगुसराय और मुंगेर में सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज शोधन संयंत्र की चार परियोजनाएँ आरंभ की जिनके पूर्ण होने की तिथि दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच थी। कार्य को विलम्ब से संवेदक को आवंटित किए जाने, जमीन की अनुपलब्धता और संवेदक द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 16 से 19 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी जुलाई 2015 तक कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र 1.57 प्रतिशत से 18.14 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.2.18)

राज्य पोषित परियोजनाएँ

- कम्पनी द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 270.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति से 12 निर्माण परियोजनाएँ आरंभ की गई जिसमें मात्र पाँच परियोजनाएँ 18 महीनों के विलम्ब से पूर्ण की गई (जुलाई 2015)। सात परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था। जुलाई 2015 को निर्धारित तिथि से 9 से 26 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी इन परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति मात्र 7.45 से 73.08 प्रतिशत थी। विलम्ब का कारण कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण डी0पी0आर0 तैयार किया जाना, संवेदक को विलम्ब से कार्य आवंटित किया जाना, इत्यादि था।

(कंडिका 2.2.20)

अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण

- कम्पनी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार (सी0एस0क्यू0सी0) के भुगतान को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध करने में विफल रही परिणामतः ₹ 9.53 करोड का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 2.2.22)

3. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :

- नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियायों, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से छः मामलों में ₹ 27.66 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिकाएँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एवं 3.11)

- नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं होने से दो मामलों में ₹ 31.46 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.3 एवं 3.11)

- त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण तीन मामलों में ₹ 25.82 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.4, 3.10 एवं 3.14)

- संगठन के वित्तीय हितों की ध्यान नहीं देने के दो मामलों में ₹ 1.27 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.9 एवं 3.12)

- त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण एक मामले में ₹ 47.57 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.13)

कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश निम्न प्रकार है :

सी0भी0सी0 की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, चलंत अग्रिम की वसूली नहीं होने पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी0भी0सी0 की दिशा–निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.04 करोड़ के कार्यो का नामांकन के आधार पर अनियमित रूप से आवंटन हुआ।

(कंडिका 3.5)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ संवेदकों के विपत्र से ₹ 12.93 करोड़ के लेबर सेस की अनिवार्य कटौती करने में विफल रहीं।

(कंडिका 3.6)

स्ट्रीट लाईट उपभोक्ता के कम्पनी द्वारा गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका विपत्रीकरण न्यून दर पर किये जाने के परिणामस्वरूप **नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.8)

कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मरों (पी0टी0आर0) की क्रय में **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड** की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

(कंडिका 3.9)

अनुचित भंडारण एवं क्रय किए गए गेहूँ की ससमय ढुलाई में विफलता के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट तथा कमियों के कारण **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड** को ₹ 20.09 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.10)

नियोजन के अभाव के साथ–साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय सारणी का पालन करने में **बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड** द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को, बी0एस0पी0पी0 द्वारा दण्ड की कटौती से ₹ 47.57 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.13)

सेट निर्माताओं द्वारा पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट–निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल कर पाने में **बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड** की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

(कंडिका 3.14)